(१७)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2018 निगरानी – २११1/2018/विदिशा/भू.रा

श्री आर. एन. सेंगर द्वारा आज दि. 15-5-18 प्रस्तुत! प्रारंभिक दिनांक 28-5-18

1. वाहिद खॉन पुत्र श्री रईस खान
2. नसीम बी पुत्री रईस खान निवासीगण ग्राम बरा तहसील व जिला ग्वालियर
3. समीम बी पुत्री रईस खान निवासी वीलपुरा पुरानी छावनी तहसील व जिला ग्वालियर
4. नसरीन बी पुत्री रईस खान निवासी ग्राम मेहमूदा हाल निवास वीलपुर पुरानी छावनी तहसील व जिला ग्वालियर
5. मोहम्मर समीर पुत्र रईस खान निवासी मेहमूदा तहसील बासोदा जिला विदिशा म.प्र.

..........आवेदकगण

बनाम

1. कल्लो बी पत्नी काले खॉ निवासी ग्राम मेहमूदा तहसील बासौदा जिला विदिशा
2. रईस खॉ पुत्र मेहराव खॉ निवासी ग्राम मेहमूदा तहसील बासौदा जिला विदिशा म.प्र.

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायब तहसीलदार अम बानगढ़ तहसील बासोदा जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/ अ– 6 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2018 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है।

श्रीमानजी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी - 2991/2018/विदिशा/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । आलोच्य अंतरिम आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 को बिना कारण दिए निरस्त कर दिया है जबकि उन्हें आवेदन निरस्त करने के संबंध में बोलता हुआ आदेश पारित करना चाहिए था । अत: अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए उन्हें यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे आवेदकों द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पर दोनों पक्षों को पुन: सुनकर बोलता हुआ आदेश पारित करें । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है । प्रशा0 सदस्य	